

-2-

16।-याचक इकाई के व्यय पर समतुल्य गैर वनभूमि पर क्षतिपूर्क वृक्षारोपण करवाया जायेगा एवं भूमि हस्तान्तरण से पूर्व विन्धित गैर वनभूमि को संरक्षित वन घोषित करना होगा।

17।-वन क्षेत्र में परियोजना में कार्य करने वाले मजदूर तथा कर्मचारी अपनी ईंधन की आवश्यकता के लिए वनों को हानि न पहुँचाये, इसके लिए उक्त संस्था ईंधन की लकड़ी निःशुल्क उपलब्ध करायेगी या ईंधन की लकड़ी की कीमत उनके वेतन या मजदूरी में से काट ली जायेगी।

18।-वनभूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण यदि कोई हो, तो उ०प्र०वननिगम द्वारा करवाया जायेगा। यदि किसी कारणवश संस्था को खड़े वृक्ष सौंपे जाते हैं, तो उसका सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा निर्धारित बाजार मूल्य पर भुगतान उक्त संस्था से प्राप्त किया जायेगा।

19।-वनभूमि हस्तान्तरण के पूर्व भूमि का मूल्य वर्तमान बाजार दर पर जिलाधिकारी, सोनभद्र से निश्चित कराकर मूल्य के बराबर प्रीमियम तथा प्रीमियम का 10 प्रतिशत लीज रेंट वन विभाग द्वारा वसूल कर लिया जायेगा।

2- यह आदेश प्राधिकृत समिति की दिनांक: 14-8-95 को हुई बैठक में लिये गये निर्णय एवं वित्त विभाग की अग्रसकीय संख्या: ई-8-1383/दस-1995, दिनांक: 25-9-95 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

सर्लरनक-यथोपरि।

भवदीय,

दया शंकर।
अनु सचिव।

संख्या: जीआई-159।।।/14-2-उक्त दिनांक।

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- 1- मुख्य वन संरक्षक। केन्द्रीय, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय।
 - 2- मध्य क्षेत्र। बी-1/72, सेक्टर-"के", अलीगंज, लखनऊ।
 - 3- महालेखाकार। द्वितीय। उ०प्र० इलाहाबाद।
 - 4- जिलाधिकारी, सोनभद्र।
 - 5- प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट, सोनभद्र।
 - 6- अध्यक्ष, मै०कनौरिया केमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज, रेनुकूट, सोनभद्र।
- वित्त। व्यय-नियन्त्रण। अनुभाग-8, उ०प्र० सचिवालय।

आज्ञा से,

दया शंकर।
अनु सचिव।

For Grasim Industries Limited
(Chemical Division Renukoot)

S. N. Sastry
Authorized Signatory

क्षेत्रीय वनाधिकारी
रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट, सोनभद्र

प्रेषक,

श्री दया शंकर,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या: जीआई-159/14-2-95-503/1961.
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

सेवा में,

नोडल अधिकारी एवं वन संरक्षक,
वन उपयोग वृत्त, उ०प्र० लखनऊ।

वन अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक: 19 जनवरी, 1996.

विषय:- जनपद-सोनभद्र में मे० कनौरिया केमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि०, रेनुकूट को पम्प हाउस, पाईप लाईन एवं ओवर हेड ट्रान्समिशन लाईन हेतु 3.79 हे० वनभूमि का 25 वर्षों हेतु लीज का नवीनीकरण।
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या: 1252/14-बी-503/61, दिनांक: 25-4-1964 के अनुक्रम में श्री राज्यपाल उक्त प्रयोजन हेतु 3.79 हे० वनभूमि के लीज के नवीनीकरण की निम्न शर्तों एवं भारत सरकार के पत्र संख्या: 8बी/09/324/92/एफ०सी०-सी०-407, दिनांक: 23-5-1995 1 फोटो प्रति तालमूल में उल्लिखित सभी शर्तों पर स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- 11-उक्त संस्था भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही करेगा तथा वह उक्त भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्तियों को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
- 12-संस्था के अधिकारी, कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बन्धित व्यक्ति किसी भी वन सम्पदा को क्षति नहीं पहुँचायेगा और यदि उक्त व्यक्तियों द्वारा कोई क्षति पहुँचती है अथवा पहुँचायी जाती है, तो उसके लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के द्वारा तदर्थ निर्धारित प्रतिकर जो अन्तिम निश्चायक तथा उक्त संस्था पर बाध्यकारी होगा, संस्था द्वारा देय होगा।
- 13-उक्त भूमि संस्था के उपयोग में तब तक बनी रहेगी, जब तक कि संस्था को उसकी उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता बनी रहेगी। यदि संस्था को उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी तो यथास्थिति उक्त भूमि अथवा उक्त भूमि का ऐसा भाग जो संस्था के लिए आवश्यक न रहे, वन विभाग, उ०प्र० सरकार को बिना किसी प्रतिकर के भुगतान के वापस हो जायेगी।
- 14-वन विभाग तथा उसके अभिकर्ताओं को किसी भी समय जब वे आवश्यक समझे, प्रश्नगत भूखण्ड पर प्रवेश करने व उसका निरीक्षण करने का अधिकार होगा।
- 15-कथित भूमि लीज के नवीनीकरण के बाद भी आरक्षित वनभूमि बनी रहेगी तथा उसके वर्तमान वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

.....2/-

For Grasim Industries Limited
(Chemical Division Renukoot)



S. N. Sastry
Authorized Signatory


क्षेत्रीय वनाधिकारी

लिपि रंज

रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट, सोनभद्र

24

पत्र सं० ७७१/०९/३२५/९२/एफ.सी.सी./१७

70107
75984
Phone: 75868



भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र)
Regional Office (Central Region)
बो-1/72, सेक्टर 'के', अलीगंज,
B-1/72, Sector 'K' Allgani,
लखनऊ-226020
Lucknow-226020

दिनांक 23.5.95

सेवा में,

साधु,
वन विभाग, उ० प्र० भावन,
लखनऊ।

विषय:- जनपद सोनभद्र में कनौरिया एण्ड इण्डस्ट्रीज लि० रेंनुकूट को पम्प हाऊस पार्सल
लाईन एवं ओवर हेड ट्रांसमिशन लाईन से 3.79 हेक्टेयर वन भूमि का 25 वर्षों
के लीज पर नवीनीकरण।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आपके पत्र सं० 514/14-2-503/1961 दिनांक 16.4.91 का
अवलोकन करें जिसके द्वारा वन भूमि प्रत्यावर्तन कर उसे गैरवानिकी कार्य के लिये उपयोग में
लाने हेतु भारत सरकार से वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत स्वीकृत मंजूर किया है।

राज्य सरकार के प्रस्ताव पर ध्यान पूर्वक विचार करने के पश्चात् मुझे यह सूचित
करने का निर्देश हुआ है कि वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की धारा -2(दो) के तहत
जनपद सोनभद्र में मै० कनौरिया केमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि० रेंनुकूट को पम्प हाऊस पार्सल
लाईन एवं ओवर हेड ट्रांसमिशन लाईन के लीज के नवीनीकरण हेतु 3.79 हेक्टेयर वन भूमि
के प्रत्यावर्तन की स्वीकृति गैरवानिकी कार्य के लिये निम्न शर्तों पर प्रदान की जाती है।

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. लीज की अवधि 31.3.2013 तक होगी।
3. वन भूमि का प्रयोग सिर्फ उपरोक्त प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा अन्य किसी
कार्य हेतु नहीं। यदि यह पाया गया कि वन भूमि का प्रयोग किसी अन्य प्रयोजन
हेतु किया जा रहा है तो स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी एवं वन भूमि वन
विभाग को वापस हो जायेगी।
4. वन विभाग द्वारा वाक्य विभाग के व्यवस्थापक गैरवानिकी भूमि में क्षतिपूर्क
पुनरोपकरण का कार्य किया जायेगा।
5. उक्त गैरवानिकी भूमि को संरक्षित वन घोषित किया जायेगा।

अवधी,

दीपक अन्ना
23/5

For Grasim Industries Limited
(Chemical Division Renukoot)

S. N. Sastry
Authorized Signatory

क्षेत्रीय वनाधिकारी

रेंनुकूट वन प्रभाग, रेंनुकूट, सोनभद्र

(19)

क्षेत्रीय अन्ना
उप वन संरक्षक रेंनुकूट

Copy of G.O.No.1252/XIV-B-505/61, dated April 25, 1964 from Sri Vidya Prakash, Sahayak Sachiv, Van (Kha) Vibhag, U.P. Shasan, Lucknow to the Conservator of Forests, S.C, U.P. Allahabad, and copy to others.

Sub: Grant of lease of land to M/S Kanoria Chemicals for laying water pipe line from Rihand Reservoir to their factory site and for installation of pump house.

With reference to your letter No. 296-C/SC/15-74, dated Jan, 15, 1964, on the above subject, I am directed to convey the sanction of the Governor to the lease of 5,740 acres and 3.619 acres of land in Murdham Gt. 6 of Dudhi Range, Dudhi Forest Division to M/S Kanoria Chemicals and Industries Ltd. for installation of a pump House and for laying out underground water pipe line and overhead Transmission line for a period of 25 years. The premium should be charged at the rate of Rs 160/- per acre and the annual Lease rent should be Rs 8/- (Rupees eight only) per acre.

2. A Draft of the lease deed incorporating other necessary terms and conditions may please be submitted to Govt. for approval and the lessees may please be asked to deposit Rs 32/- as conveyancing fee under the head of Account "XVII. Administration of Justice- Miscellaneous- Fees received by Government Servants for work done for private bodies" and to send the receipted copy of the Treasury Challan to the Govt. Conveyancer, U.P.

For Grasim Industries Limited
(Chemical Division Renukoot)


S. N. Sastry
Authorized Signatory

राज्य प्रशासक

(CC -
विभागीय अधिकारी)

होम क्वार्टर
रजिस्ट्रार


क्षेत्रीय वनाधिकारी

निर्वाह रजि.
रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट, सोनभद्र